INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
NATIONAL INSTITUTE FOR TRIBAL HEALTH RESEARCH

आई सी एम आर – राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जबलपुर
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार
ICMR - National Institute for Tribal Health Research, Jabalpur
Department of Health Research,
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

No. ICMR-NITHR/Project Cell/421/2026

Date: - 2 JUL 2026

(Advt No.- 02/2026-27)

नियुक्ति के लिए रिक्ति अधिसूचना दो कंसल्टेंट (साइंटिफिक - नॉन-मेडिकल)

आईसीएमआर- राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, एक परमानेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ICMR-NITHR साइंटिफिक एक्टिविटीज में शॉर्ट टर्म सपोर्ट के लिए, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, नीचे दिए गए कंसल्टेंट्स को हायर करना चाहता है।

इस हायरिंग के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज-लिमिट और दूसरी ज़रूरी डिटेल्स नीचे दी गई हैं:

पद का नाम	सलाहकार (वैज्ञानिक - गैर-चिकित्सा)
पदों की संख्या	02 पद
अनिवार्य योग्यता	ऐसे प्रोफेशनल्स जिनके पास अपने स्पेशलाइज़ेशन के एरिया में साबित काबिलियत और सफलता हो, और जिनके पास क्वालिफिकेशन के बाद कम से कम 8 साल का अनुभव हो, और उनके पास कम से कम M.Sc /MD या संबंधित सब्जेक्ट में समकक्ष की क्वालिफिकेशन हो।
वांछनीय योग्यता	• रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा करने और मैनेजमेंट का अनुभव • प्रकाशन का उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली रिकॉर्ड, जो पर्याप्त संख्या में साइटेशन और उच्च H-इंडेक्स को दर्शाता है। • सरकारी/पब्लिक सेक्टर/प्राइवेट संस्थानों में नौकरी की ज़रूरतों (ज़रूरत बताएं) के हिसाब से बायोमेडिकल साइंसेज से जुड़े रिसर्च और डेवलपमेंट का अनुभव मान्य होगा • मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म के साथ अनुभव • ट्राइबल हेल्थ रिसर्च/से जुड़ी समस्याओं का अनुभव • ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित करने का अनुभव और काम का तरीका।
आयु सीमा	40 to 60 years
पारिश्रमिक	80,000 रुपये प्रति माह रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर के OM नंबर 3-25/2020-E.IIIA, तारीख 09 Dec 2020 के अनुसार तय की जाएगी। नोट: कंसोलिडेटेड फीस/मजदूरी सिलेक्शन कमिटी द्वारा रिकमेंड की जाएगी और यह कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के हिसाब से होगी।
कार्यकाल	एक वर्ष

जो इच्छुक और योग्य आवेदक "ज़रूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और उम्र सीमा" पूरी करते हैं, वे बताए गए फॉर्मेट में अपना भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उम्र का सबूत, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी और हाल की पासपोर्ट साइज़ फोटो के साथ **स्पीड पोस्ट** से इस पते पर भेज सकते हैं: **एस्टैब्लिशमेंट-II (प्रोजेक्ट सेल), रूम नंबर 110, ICMR-NITHR कैंपस, नागपुर रोड, धन्वंतरि नगर, गढ़ा, जबलपुर, मध्य प्रदेश 482003, (आवेदन का कोई और तरीका नहीं लिया जाएगा), 17 जुलाई 2026 तक।**

सामान्य नियम और शर्तें:

1. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट/ऑटोनॉमस ऑर्गनाइज़ेशन/PSUs वगैरह के रिटायर्ड कर्मचारियों के अलावा, ज़रूरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाले दूसरे प्रोफेशनल भी कंसल्टेंट के तौर पर काम करने के लिए एलिजिबल होंगे। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के मामले में, फुल टाइम कंसल्टेंट के तौर पर काम को किसी भी तरह से री-एम्प्लॉयमेंट का केस नहीं माना जाएगा।

2. कंसल्टेंट को एक तय समय के लिए, एक तय महीने की सैलरी पर, तय समय के अंदर किए गए दायित्वों पर ध्यान देते हुए, संतोषजनक कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। यह सैलरी कॉन्ट्रैक्ट के पूरे समय के दौरान फिक्स्ड रहेगी।

3. क्योंकि कंसल्टेंट का काम फुल-टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा, इसलिए उन्हें इस दौरान कोई दूसरा काम, पार्ट टाइम या फुल टाइम, करने की इजाज़त नहीं होगी।

4. कंसल्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी होता है और इसे बिना किसी पहले से नोटिस और बिना कोई कारण बताए कभी भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन, आम तौर पर, बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय, दोनों में से किसी भी तरफ से कम से कम एक महीने का नोटिस देकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है।

5. अलाउंस: कंसल्टेंट्स को कोई दूसरी सुविधा नहीं मिलेगी, जैसे कि मानदेय या अलाउंस जैसे कि महंगाई भत्ता, रेजिडेंशियल टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट सुविधा, रहने की जगह, पर्सनल स्टाफ, CGHS/CSMA और मेडिकल रीइंबर्समेंट, वगैरह।

6. अटेंडेंस और काम के घंटे/दिन: कंसल्टेंट्स के काम के घंटे: ICMR-NITHR के रेगुलर कर्मचारियों जैसे ही होंगे। ऑफिस के घंटों के बाद काम करने पर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बिना किसी सही कारण के लगातार 08 दिनों तक बिना इजाज़त के गैरहाज़िरी होने पर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा।

7. छुट्टी: सर्विस के हर पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की पेड छुट्टी दी जा सकती है। इसलिए, छुट्टी के तय समय के बाद काम से गैरहाज़िर रहने पर कंसल्टेंट को कोई मेहनताना नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के मामले में, एंगेजमेंट पीरियड के दौरान ली गई छुट्टी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर छुट्टी के समय में कोई पब्लिक हॉलिडे/वीकली ऑफ आता है, तो उसे छुट्टी के समय का हिस्सा नहीं माना जाएगा। छुट्टी का रिकॉर्ड संबंधित डिवीज़न/इंस्टीट्यूट/सेंटर के हेड को रखना होगा। मैटरनिटी लीव भारत सरकार के मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अनुसार होगी। एक बार में पाँच दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं ली जा सकती।

8. TA/DA: इंटरव्यू/पर्सनल डिस्कशन में शामिल होने, असाइनमेंट जॉइन करने या उसके पूरा होने पर कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को ट्रांसपोर्ट/रहने की जगह का इंतज़ाम खुद करना होगा। हालाँकि, ऑफिशियल काम/टूर के सिलसिले में, TA/DA का हक ICMR के OM नंबर 16/84/2023-Admn.II/e-file-171470, तारीख 08.05.2026 के अनुसार होगा।

9. कंसोलिडेटेड मेहनताना जारी करना: कंसल्टेंट को महीने का मेहनताना, डिवीजन/इंस्टीट्यूट के हेड से संतोषजनक परफॉर्मेंस और अटेंडेंस पर एक साफ सर्टिफिकेट के आधार पर जारी किया जाएगा।

10. टैक्स में कटौती: सरकारी नियमों और रेगुलेशन के अनुसार, सभी लागू टैक्स सोर्स पर ही काट लिए जाएंगे।

11. कानूनी स्थिति: व्यक्तिगत कंसल्टेंट को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट और टेम्पररी आधार पर रखा जाएगा और उसे किसी भी

मकसद के लिए काउंसिल/इंस्टीट्यूट/सेंटर का "कर्मचारी" या "ऑफिशियल" नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, वह किसी भी मामले में ICMR/या इसके किसी भी इंस्टीट्यूट/सेंटर या भारत सरकार में कॉन्ट्रैक्ट से आगे की सर्विस या सर्विस के रेगुलराइजेशन का कोई दावा नहीं कर सकता/सकती। इस बारे में कंसल्टेंट को जॉइन करने से पहले एक अंडरटेकिंग पर साइन करना होगा।

12. अनुशासन और शिष्टाचार: चुने गए उम्मीदवार को सभी इंस्टीट्यूशनल नियमों का पालन करना होगा। तय नियमों का उल्लंघन करने पर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने सहित सज़ा के प्रावधान लागू होंगे।

13. इंश्योरेंस: कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी किसी भी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए ज़रूरी इंश्योरेंस लेने और उसे बनाए रखने के लिए, साथ ही अपने खर्च पर, लाइफ, हेल्थ और दूसरे तरह के इंश्योरेंस का इंतज़ाम करने के लिए, जिसे कंसल्टेंट उस समय को कवर करने के लिए सही समझे, जिसके दौरान वह काम पर रहेगा, पूरी तरह से कंसल्टेंट ही ज़िम्मेदार होगा।

14. झगड़ों का निपटारा: काउंसिल /ICMR इंस्टिट्यूट / सेंटर और कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट के समय से होने वाले झगड़ों, विवाद या क्लेम को आपसी सहमति से निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे।

15. हितों का टकराव: व्यक्तिगत सलाहकार से परिषद/भारत सरकार के सभी दिशानिर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी, जो समय-समय पर लागू होते हैं। उनसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अत्यधिक ईमानदारी, कार्यालय की गोपनीयता, ईमानदारी प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी। यदि किसी सलाहकार की सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है या परिषद/संस्थान/जीओआई के हितों के टकराव में पाई जाती है, तो उसकी नियुक्ति बिना कोई कारण बताए तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इस आशय का एक उपक्रम शामिल होने से पहले सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

16. ऑडिट और जांच: संस्थान द्वारा भुगतान किया गया प्रत्येक चालान/बिल समय-समय पर लेखा परीक्षकों (आंतरिक/बाहरी) द्वारा पोस्ट-ऑडिट के अधीन होगा। व्यक्तिगत सलाहकार इसे स्वीकार करता है और सहमत है। वह परामर्श अनुबंध या उसके पुरस्कार के किसी भी पहलू पर ऐसी जांच/भुगतान के बाद ऑडिट में पूर्ण और समय पर सहयोग प्रदान करेगा, जिसे संस्थान/परिषद/भारत सरकार आयोजित कर सकती है।

17. यात्रा, मेडिकल क्लीयरेंस और सेवा से हुई मृत्यु, चोट या बीमारी: संस्थान को सलाहकार से आईसीएमआर-एनआईटीएचआर के किसी भी कार्यालय या परिसर में काम शुरू करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक से अच्छे स्वास्थ्य का विवरण जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। सलाहकार की मृत्यु, चोट या बीमारी की स्थिति में, जो अनुबंध की शर्तों के तहत परिषद/संस्थान की ओर से सेवाओं के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार है, जबकि सलाहकार परिषद/संस्थान के खर्च पर यात्रा कर रहा है या परिषद/संस्थान/केंद्र के किसी भी कार्यालय या परिसर में अनुबंध के तहत कोई सेवाएं दे रहा है, सलाहकार या उसके आश्रित, जैसा उचित हो, किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।

18. अप्रत्याशित घटना और अन्य शर्तें: अप्रत्याशित घटना, जैसा कि यहां उपयोग किया गया है, का अर्थ है प्रकृति का कोई भी अप्रत्याशित और अप्रतिरोध्य कार्य, युद्ध का कोई भी कार्य (चाहे घोषित किया गया हो या नहीं), आक्रमण, क्रांति, विद्रोह, या समान प्रकृति या बल का कोई अन्य कार्य, बशर्ते कि ऐसे कार्य नियंत्रण से परे और सलाहकार की गलती या लापरवाही के बिना उत्पन्न होते हैं। सलाहकार स्वीकार करता है और सहमत है कि, अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के संबंध में, जिसे सलाहकार को उन क्षेत्रों में या उसके लिए पूरा करना होगा जिसमें वे लगे हुए हैं, शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी शांति स्थापना, मानवीय या इसी तरह के संचालन से अलग हो रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों के भीतर कठोर परिस्थितियों या ऐसे क्षेत्रों में होने वाली नागरिक अशांति की किसी भी घटना से उत्पन्न होने वाले या संबंधित दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी की विफलता, अनुबंध के तहत अपने आप में अप्रत्याशित घटना नहीं होगी।

19. व्याख्या: अगर इन नियमों के किसी भी नियम के मतलब को लेकर कोई शक हो, तो मामला डायरेक्टर-ICMR-NITHR को भेजा जाएगा, जिनका फ़ैसला आख़िरी और मानने वाला होगा।

20. छूट देने का अधिकार: अगर DG,ICMR को लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी या सही है, तो वे लिखकर कारणों को रिकॉर्ड करके, ऑर्डर देकर इन गाइडलाइंस के किसी भी नियम में ढील दे सकते हैं।

नोट: कंसल्टेंट्स (रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर) हर सालाना टर्म पूरा होने के बाद कंसोलिडेटेड सैलरी में 5% तक की बढ़ोतरी के लिए एलिजिबल होंगे, बशर्ते परफॉर्मेंस का मूल्यांकन संतोषजनक हो और संबंधित पद के लिए तय की गई ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी की लिमिट हो।

21. अधूरी एप्लीकेशन, बिना फ़ोटो या संबंधित सर्टिफ़िकेट की कॉपी के बिना, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

22. क्वालिफ़िकेशन और अनुभव संबंधित फ़ील्ड/विषय में और संबंधित अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त किसी जाने-माने इंस्टिट्यूशन/ऑर्गनाइज़ेशन से होना चाहिए। अनुभव को कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करने की तारीख से गिना जाएगा।

23. जमा करने की तय आखिरी तारीख और समय के बाद मिले एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। सिर्फ़ शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इस बारे में कोई बातचीत नहीं की जाएगी।

24. जो लोग पहले से ही किसी सरकारी डिपार्टमेंट/ऑर्गनाइज़ेशन में रेगुलर टाइम स्केल सर्विस में हैं, वे एलिजिबल नहीं हैं।

25. एप्लीकेशन फॉर्म/इंटरव्यू/पर्सनल डिस्कशन के किसी भी स्टेज पर गलत या झूठी जानकारी देने पर कैंडिडेचर किसी भी स्टेज पर डिसक्वालिफ़ाई हो जाएगा।

26. शॉर्टलिस्टिंग या नौकरी के लिए किसी भी तरह से प्रचार करना और बाहरी असर डालना डिसक्वालिफ़िकेशन माना जाएगा और कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा।

27. सिर्फ़ ज़रूरी क्वालिफिकेशन/अनुभव पूरा करने से सिलेक्शन की गारंटी नहीं मिलती।

28. उम्र एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख से गिनी जाएगी।

29. ये पोस्ट पूरी तरह से टेम्पररी और को-टर्मिनस हैं।

30. विज्ञापन के लिए तय समय में मिले एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग कमिटी करेगी। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट ICMR-NITHR और ICMR हेडक्वार्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। सिर्फ़ शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू/पर्सनल डिस्कशन में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। अगर ज़रूरी हुआ, तो एप्लिकेंट्स की संख्या के आधार पर, इंटरव्यू से पहले रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है। रिटन एग्जाम में टाई होने पर, सभी कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स एक जैसे हैं, उन्हें आगे के राउंड के लिए क्वालिफाई माना जाएगा।

31. शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू/पर्सनल डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में अनुभव और परफॉर्मेंस के आधार पर सही कैंडिडेट को चुना जा सकता है। सिलेक्शन कमिटी का फैसला आखिरी होगा और सभी को मानना होगा।

32. चुने गए कैंडिडेट को ICMR-NITHR, जबलपुर या ICMR या किसी दूसरे सरकारी ऑर्गनाइज़ेशन में रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

33. उपरोक्त रिक्ति नोटिस के संबंध में कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल आईसीएमआर-एनआईटीएचआर वेबसाइट और आईसीएमआर मुख्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और प्रेस में कोई अलग अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे खुद को अपडेट रखने के लिए नियमित रूप से हमारी वेबसाइट देखें।

34. निदेशक, आईसीएमआर-एनआईटीएचआर, जबलपुर किसी भी आवेदन/उम्मीदवारी पर विचार करने या उसे अस्वीकार करने और बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय सहमत अनुबंध अवधि या विस्तारित अनुबंध अवधि के दौरान भी सलाहकार पद को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

35. सलाहकारों की नियुक्ति की योजना संख्या 16/84/2023-प्रशासन II/ई-फाइल-171470, दिनांक 08-05-2026 और उस पर नियम और शर्तें उक्त ओएम के अनुसार होंगी।